न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 111/18

आशीष पुत्र बदरी जाति मीना निवासी ग्राम डिबस्या तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांटान

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 91/16 निर्णय दिनांक 11.2.17 एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी मु0न0 88/15 निर्णय दिनांक 31.8.15)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री तरूण शर्मा
2. रेस्पोटेटान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 16.10.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 91/16 निर्णय दिनांक 11.2.17 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 88/15 दिनांक 31.8.15 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मे अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के निर्णय दिनांक 31.8.15 के विरूद्व प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि ग्राम डिबस्या के ख0न0 1154 रकबा 0.02 है0 गैर मुमकिन नाला पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने ,अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करनें एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने पर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के यहॉ अपील संख्या 91/16 की गई। अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.2.17 के द्वारा अपीलांट की अपील लोक अदालत की भावना से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलांट को न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दी गई सिविल कारावास की सजा माफ की गई एवं शेष शास्ति एवं बेदखली का आदेश यथावत रखा जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मिसल के तथ्यो व विधि के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट का भूमि ख0न0 1154 रकबा 0.02 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला पर कभी कब्जा नही रहा है। इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय मे शपथ पत्र भी पेश किया गया है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Scanned by CamScanner

अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित कर भारी विधिक भूल की है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा वर्तमान मे भी कोई कब्जा नही है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात की मौका रिपोर्ट तलब करने का प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। जिसकी जॉच चाहे तो श्रीमान करवाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारास अपींलाट को विना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि अनुरूप नही है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को बिना सूचना के ही एक पक्षीय रूप से मौका देखकर रिपोंर्ट प्रस्तुत की है। जबकि अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा नही है। यदि पटवारी हल्का अपींलाट को सूचित करता तो अपीलांट अवश्य ही सारी सच्चाई बताता किन्तु उसके बाबजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को वारन्ट गिरफतारी जारी करने मे भारी विधिक भूल की है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपीलांट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया था किन्तु उसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित कर कानूनी भूल की है। अपीलांट शिक्षित विधार्थी है उक्त गलत आदेश की आड मे अपीलांट को जेल भेजा गया तो अपींलाट का सारा जीवन खराब हो जावेगा तथा अपीलांट की काफी बदनामी हो जावेगी। पटवारी हल्का अपीलांट से द्वेषता रखता है तथा कब्जा नही होने के बाबजूद भी गलत रूप से अपीलांट का कब्जा भूमि पर बताता है। जबकि अपीलांट का भूमि पर कोई कब्जा नही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायोलयो के निर्णयो को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

16.10.13

रेस्पो0 की अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जा करने पर ही उसके विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि पटवारी हल्का उससे द्वेषता रखता है जबकि पटवारी हल्का का कार्य ही राजकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना उसका कार्य है। इस प्रकार पटवारी हल्का का किसी भी काश्तकार/अतिक्रमी से द्वेषता रखना अपीलांट का कथन मिथ्या है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की बजह से ही अपीलांट को सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण की भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला है जिसका कभी भी नियमन नही किया जा सकता है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमियो की सिविल कारवास की सजा को माफ कर दिया जाता है तो आम जन का सरकार पर से विश्वास समाप्त हो जावेगा एवं अतिक्रमियों के हौसले बुलन्द हो जावेगे। अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलांट की सिविल कारवास की सजा को माफ कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया तो फिर अपीलांट द्वारा उसकी

Scanned by CamScanner

अपील किस कारण से यहॉ की गई है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने मौके से अतिक्रमण नही हटाया है। अतः अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षो की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट के विरूद्व धारा 91 की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी के समक्ष पेश करने पर नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर अवसर दिया गया। जिसकी पुष्टि तहसीलदार की पत्रावली मे संलग्न नोटिस से होती है जिस पर अपीलांट की मॉ द्वारा नोटिस प्राप्त किया जाकर अगूठा निशानी लगाई गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा मौके पर कब्जा नही हटाया गया है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला है। अपीलांट की प्रथम अपील अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा कब्जा छोडने की शर्त तक आंशिक स्वीकार किये जाने पर भी अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा मौके से अतिक्रमण नही हटाया गया है। माननीय उच्च न्याायलय जोधपुर राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन न0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 मे नदी,नाला,तालाब आदि के संरक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। अपीलांट द्वारा दिनांक 26.8.15 को अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर भी पश्चातवर्ती अतिचार नही करने संबंधी कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। जिससे उसका अतिचार नही करना सिद्व हो सके एवं पटवारी हल्का से उसे जिरह का अवसर दिया जा सके। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत एवं सम्यक जॉचोपरान्त ही पारित किये गये है। जिनमे किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः हमारे मतानुसार दोनो अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णयो मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के मु0न0 91/16 निर्णय दिनांक 11.2.17 एवं नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी के मु0न0 88/15 निर्णय दिनांक 31.8.15 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

16-10-19

(बी0एल0 रमण)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 17:04:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: